

बिहार विधान-सभा सचिवालय

निविदा आमंत्रण सूचना

N.I.T. No-08/2018

02, देशरत्न मार्ग, पटना स्थित माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय पर स्थापित 125 K.V.A. का किरलोस्कर ग्रीन डी.जी. सेट एवं इससे संबंधित ए.एम.एफ. पैनल का वार्षिक सम्पोषण के लिए ख्याति प्राप्त एवं पर्याप्त अनुभव रखने वाले आपूर्तिकर्ताओं, प्रतिष्ठानों एवं संवेदकों से मुहरबंद निविदायें यथा निर्धारित शर्तों के अधीन विज्ञापन प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। उपर्युक्त निविदा एवं इससे संबंधित शर्तें बिहार विधान सभा की **www.vidhansabha.bih.nic.in** पर देखी जा सकती है।

विवेकानन्द झा
अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

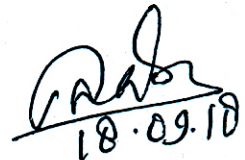
बिहार विधान-सभा सचिवालय

निविदा आमंत्रण सूचना

02, देशरत्न मार्ग, पटना स्थित माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय पर स्थापित 125 K.V.A. का किरलोस्कर ग्रीन डी.जी. सेट एवं इससे संबंधित ए.एम.एफ. पैनल का वार्षिक सम्पोषण के लिए ख्याति प्राप्त एवं पर्याप्त अनुभव रखने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं, प्रतिष्ठानों एवं संवेदकों से मुहरबंद निविदायें यथा निर्धारित शर्तों के अधीन विज्ञापन प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। उपर्युक्त निविदा एवं इससे संबंधित शर्तें बिहार विधान सभा की www.vidhansabha.bih.nic.in पर देखी जा सकती है।

निर्धारित शर्तें:-

1. निविदा के संबंध में कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार विधान सभा सचिवालय के अवधायक शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
2. निविदादाता, निविदा समर्पित करने के पूर्व किसी कार्य दिवस में स्थल मुआयना कर सकते हैं।
3. निविदा के साथ कार्यानुभव प्रमाण पत्र, फर्म का निबंधन प्रमाण-पत्र, वित्तीय वर्ष 16-17 एवं 17-18 का आई.टी. रिटर्न एवं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र आदि संलग्न रहना आवश्यक है।
4. निविदा के कभर पर फर्म/संस्थान का नाम, पता एवं दूरभाष/मोबाईल संख्या अंकित होना चाहिए।
5. डी.जी.सेट एवं इससे संलग्न ए.एम.एफ. पैनल के मरम्मत के क्रम में पाटर्स पर होने वाले व्यय का भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।
6. प्रत्येक माह डी.जी.सेट एवं इससे संबंधित ए.एम.एफ. पैनल का निरीक्षण कर पाये जाने वाली खराबी को उसी दिन दूर करना होगा।
7. संधारणकर्त्ता को डी.जी. सेट एवं इससे संलग्न ए.एम.एफ. पैनल के खराब होने की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत स्थल पर पहुंचकर मरम्मत का कार्य सुनिश्चित करनी होगी।
8. किसी एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द या अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार बिहार विधान सभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा।



अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।